

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- 3011
सेवा में,

/22-2, मुरादाबाद, दिनांक, दिसम्बर-

18, 2015

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

मै0 एस्सार ऑयल लिमिटेड नोयडा द्वारा नहतौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग कि०मी० 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ उर्फ रतनगढ तहसील चोंदपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या-147 में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट प्रभावित वनभूमि 0.0751 हे० बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर की पत्र संख्या- 1773/14-1, दिनांक 20-11-2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मै० एस्सार ऑयल लिमिटेड नोयडा द्वारा नहतौर-नूरपुर-जोया-अमरोहा मार्ग कि०मी० 26.400 की दायी पटरी पर ग्राम आजमगढ उर्फ रतनगढ तहसील चोंदपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या-147 में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट प्रभावित वन भूमि 0.0751 हे० बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक- प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

भवदीय,

10

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक-

/22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :-

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।